

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 01/2023

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उपनाम

- 1 शाहबुद्दीन पिता ईदू मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा

----- (प्रार्थी)

बनाम

- 1 पप्पू पिता रामेश्वर माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
2 मोहन पिता गोकल माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
3 राजाराम पिता हरजी माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
4 रामेश्वर पिता गोकल माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
5 शंकर पिता हरजी माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
6 शिवराज पिता हरजी माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
7 सीताराम पिता हरजी माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
8 भागचन्द पिता कालू माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
9 भैरू पिता मांगीलाल माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
10 रामधन पिता राधाकिशन माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
11 सांवरियालाल पिता रामेश्वर माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
12 शंकर पिता कालू माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
13 केदार पिता राधाकिशन माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
14 जगदीश पिता मांगीलाल माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
15 अजीज पिता कमरुद्दीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
16 इकबाल पिता कमरुद्दीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
17 हकीम पिता कमरुद्दीन पिनारा उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
18 गोपाल पिता बन्ना घोबी उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
19 शाहबुद्दीन पिता महाराब मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
20 शमसुद्दीन पिता हुसना मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
21 अनवर पिता रमझू मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
22 अमीरुद्दीन पिता हुसना मुसलमान उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
23 निर्मला देवी पत्नि छोटूलाल माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
24 लाली देवी पत्नि प्रहलाद माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
25 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

----- (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्रीमती मदीना बानू

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 05.05.2023


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 11.01.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वार्ड के ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का क्षेत्र फूलियाकलां भू.अ.नि. फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 1330 के आ.न. 2237, 2238, 2959/5281 किता 3 रकबा 2.13 हेक्टर, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीयण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.01.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीयणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीयण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीयण स्वीकार किया जाकर वार्ड के ग्राम फूलियाकलां पटवार हल्का क्षेत्र फूलियाकलां भू.अ.नि. फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 1330 के आ.न. 2237, 2238, 2959/5281 किता 3 रकबा 2.13 हेक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक फूलियाकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसीयान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर रथगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन विन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकेश मीना)

उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकलां, जिला भीलवाड़ा